न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)
मुकदमा नं0 :- 29/2021
दायर दिनांक :- 05.07.2021

उनवान

1. पूरण पुत्र प्रभातीलाल
2. रामस्वरूप पुत्र सेडूराम

} जाति मीना निवासी ग्राम रूडमल का बास, कालाखो तहसील दौसा जिला दौसा।

बनाम

1. कल्याण पुत्र भौरीलाल
2. किशनलाल पुत्र पून्या
3. खिलाड़ी पुत्र हारया
4. गंगासहाय पुत्र भौरीलाल
5. गोपाललाल पुत्र पांच्या
6. छौटी पत्नि हारया
7. जगदीश पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
8. झूंथी देवी पत्नि प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
9. तेजाराम पुत्र पांच्या
10. बुद्धी देवी पत्नि रामधन
11. बाबूलाल पुत्र श्योदान
12. घिसी देवी पत्नि बिरदा
13. मुकेश पुत्र रामधन
14. मूल्या पुत्र हारया

} जाति मीना निवासी रूड़मल का बास, कालाखो, तहसील व जिला दौसा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

15. मिश्रीलाल पुत्र सेड्या उर्फ सेडूराम
16. रमेश पुत्र रामधन
17. राजू पुत्र सेड्या उर्फ सेडूराम
18. राजेश पुत्र रामधन
19. रामकरण पुत्र ग्यारसा
20. रामकेश पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
21. रामकिशोर प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
22. रामावतार प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
23. लहरीराम पुत्र कान्या
24. लाली देवी पत्नि श्योदान
25. लोहड्या पुत्र ग्यारसा
26. सुरेश कुमार पुत्र मेवा

(15 से 26 तक) जाति मीना निवासी रूड़मल का बास, कालाखो, तहसील व जिला दौसा।

27. यूको बैंक शाखा दौसा, जरिये शाखा प्रबंधक
28. दौसा सहकारी भूमि विकास बैंक दौसा, जरिये शाखा प्रबंधक
29. यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा दौसा, जरिये शाखा प्रबंधक
30. स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा भांडारेज, जरिये शाखा प्रबंधक
31. राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार भांडारेज तहसील दौसा जिला दौसा

उपस्थित : 1. श्री अनूप शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा – अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

::निर्णय::

दिनांकः 06.01.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम रूड़मल का बास पटवार हल्का गोठ्ड़ा तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खाता संख्या 198 का आराजी खसरा नं. 140 रकबा 0.35 है0, खसरा नं. 145 रकबा 0.0800 है0, खसरा नं. 157 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 158 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 964 रकबा 0.0700 है0, खसरा नं. 987 रकबा 0.2100 है0, खसरा नं. 997 रकबा 0.33 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.35 है0 तथा खाता संख्या 102 का खसरा नं. 138/1739 रकबा 0.4300 है0, खसरा नं. 173 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7500 है0 तथा खाता संख्या 180 का खसरा नं. 144 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 146 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 150 रकबा 0.66 है0, खसरा नं. 264 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 962 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 963 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 974 रकबा 0.29 है0, खसरा नं. 975 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 976 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 977 रकबा 0.27 है0, खसरा नं. 980 रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 992 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 994 रकबा 0.08 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.35 है0 स्थित है।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर एकतरफा वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दिनांक 05.07.2021 को प्रकरण को दर्ज कर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। दिनांक 10.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 12 घीसी देवी की ओर से अधिवक्ता सतीश पारीक द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा दिनांक 08.11.2021 को अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 29 को जवाब पेश करने हेतु अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही करने के कारण इनका जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5, 7 लगायत 11, 13, 15 लगायत 22, 24 व 25 बावजूद तामिल के उपस्थित नही हुये अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6, 14, 23 व 26 के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 17.1[illegible] को पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर हमने प्रकरण को अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिंन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण का निर्णित करना आवश्यक समझते है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

1. **<u>प्रथम दृष्टया मामलाः-</u>** इस अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त नही है।

उपयुक्त प्रार्थना पत्र में रूड़मल का बास पटवार हल्का गोठड़ा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजी 198 का आराजी खसरा नं. 140 रकबा 0.35 है0, खसरा नं. 145 रकबा 0.0800 है0, खसरा नं. 157 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 158 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 964 रकबा 0.0700 है0, खसरा नं. 987 रकबा 0.2100 है0, खसरा नं. 997 रकबा 0.33 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.35 है0 तथा खाता संख्या 102 का खसरा नं. 138/1739 रकबा 0.4300 है0, खसरा नं. 173 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7500 है0 तथा खाता संख्या 180 का खसरा नं. 144 रकबा 0.30 है0, खसरा नं. 146 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 150 रकबा 0.66 है0, खसरा नं. 264 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 962 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 963 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 974 रकबा 0.29 है0, खसरा नं. 975 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 976 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 977 रकबा 0.27 है0, खसरा नं. 980 रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 992 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 994 रकबा 0.08 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.35 है0 स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण द्वारा तकास्मा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। परन्तु उक्त भूमि के खाता संख्या 102 के खसरा नं. 138/1739 रकबा 0.4300 है0 व खसरा नं. 173 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7500 है0 भूमि के खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण को नही होने से एवं खाता संख्या 198 एवं 180 में अप्रार्थीगण नम्बर 12 के पति के खातेदारी अधिकार है जिसकी एकमात्र वारिस अप्रार्थी संख्या 12 घीसी देवी है। हमारा विनम्र अभिमत है कि खाता संख्या 102 के खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण के नही होने एवं खाता संख्या 198 एवं 180 में अप्रार्थी संख्या 12 के पति बिरदा जिसकी एकमात्र वारिस अप्रार्थी संख्या 12 घीसी देवी के खातेदारी अधिकार होने से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में जाता है।

2. **<u>सुविधा का संतुलनः-</u>** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्गत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो अप्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी।

चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका। तथा प्रार्थीगण के पास वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 102 के खसरा नं. 138/1739 रकबा 0.4300 है0, खसरा नं. 173 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7500 है0 के खातेदारी अधिकार नही होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

3. **अपूरणीय क्षतिः-** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन दोनो अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुये है।

अतः हमारा भी विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः- प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को खारिज किया जाना हम विधि संगत समझते है।

:: आदेश ::

अतः उपयुक्त विवेचन के आलोक **में** प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भलीभांति साबित नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **06.01.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:14:17 IST
Reason: SelfAttested